न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 05/2017 दायरा दिनांक 30.05.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

अर्जनियां पुत्री कडोरी पत्नि सोमा जाति जाटव निवासी बूढानोनेरा हाल कुजाय तहसील शाहबाद जिला–बारां (मृतक)

1/1 गोपाल पुत्र सोमा जाति जाटव निवासी कुजाय तहसील शाहबाद जिला बारां

1/2 गुड्डी उर्फ पुनियां पुत्री सोमा जाति जाटव निवासी कुजाय तहसील शाहबाद जिला बारां

1/3 अस्सो पुत्री सोमा जाति जाटव निवासी कुजाय तहसील शाहबाद जिला बारां

–अपीलाण्ट

बनाम

1. विध्या पुत्री कडोरी पत्नि श्रीया जाति जाटव निवासी मुसरेडी तहसील शाहबाद जिला बारां
2. जानकी पुत्री कडोरी पत्नि कोमल जाति जाटव निवासी टाण्डा अहीरान तहसील शाहबाद जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 24.03.2022

अपील विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 256 दिनांक 31.12.2001 ग्राम बूढानोनेरा

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध दिनांक 31.12.2001 ग्राम बूढानोनेरा को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम बूढानोनेरा तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 387 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 388 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 1.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 544 रकबा 3.12 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 9.00 बीघा [illegible] जिया वेबा कडोरी जाति जाटव निवासी बूढानानेरा तहसील शाहबाद के खाते की रही है [illegible] के उपरान्त उक्त आराजियात के सम्बन्ध में प्रश्नगत नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट क्रं 3 द्वारा तस्दीक [illegible] गया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्टस् यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। रेस्पोडेण्ट [illegible] की मां अर्जनियां की [illegible] बहिनें है जो रिश्ते में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:21 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टस् की सगी मौसी है। अपीलान्टस् की मां अर्जनियां की मृत्यु अपीलान्ट्स की नानी की मृत्यु के पूर्व हो चुकी थी बाद में अपीलान्ट्स की नानी गजिया की मृत्यु के उपरान्त उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण से उक्त भूमि अवैधानिक रूप से रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अपीलान्ट्स मृतक गजिया की सगी पुत्री अर्जनियां के पुत्र पुत्री होने के कारण उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार है इस तथ्य से सम्मानित अधीनस्थ न्यायालय भली–भांति परिचित था इसके बाद भी सम्मानित अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामान्तरकरण में मृतक गजिया के वारिसान में अपीलान्ट को शामिल नहीं करके कानूनी भूल की है। इस तरह प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्टस् को कोई सूचना दिये बिना खोला जाकर विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है। जिसकी अपीलान्टस् को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट् को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनसंक 22.04.2017 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह परिस्थितिवश हुई है जो क्षम्य है इस तरह धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.04.2017 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ने उपस्थित होकर अपील जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बूढानोनेरा तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 387 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 388 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 1.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 544 रकबा 3.12 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 9.00 बीघा स्थित हैं जो कि मेरी मां गजिया बेवा कडोरी जाति जाटव निवासी बूढानोनेरा तहसील शाहबाद के खाते की रही है मेरी मां गजिया के हम तीन पुत्रियां है जिसमें सबसे बडी बहिन अर्जनियां पुत्री कडोरी पत्नि सोमा है। जिनका देहान्त हो गया है जिनके पुत्र पुत्री अपीलान्ट क्रम 1/1 ता 1/3 हैं दूसरे नम्बर की पुत्री में स्वयं और तीसरे नम्बर की बहन जानकी है मेरी मां के मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजीयात में हमारी बडी बहन के नाम इन्तकाल नहीं खुल पाया था अपीलान्ट्स मृतक गजिया की सगी पुत्री अर्जनियां के पुत्र पुत्री होने के कारण उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं मृतक गजिया के वैधिक वारिसान अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 तीनों को 1/3, 1/3 के बराबर हिस्से में दे दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:21 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली का आद्यतन अवलोकन किया रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 अपीलान्ट्स की मां अर्जनियां की सगी बहिनें हैं जो रिश्ते अपीलान्ट की सगी मौसी हैं अपीलान्टस की मां अर्जनिया की मृत्यु अपीलान्टस की नानी की मृत्यु के पूर्व हो चुकी थी। बाद में अपीलान्ट्स की नानी गजिया की मृत्यु के उपरान्त उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण से उक्त भूमि अवैधानिक रूप से रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि अपीलान्ट्स मृतक गजिया की सगी पुत्री अर्जनियां के पुत्र पुत्री होने के कारण उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ने अपने लिखित जबाब में अपीलान्ट्स को विवादित आराजी में 1/3 हिस्से को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट रिमाण्ड की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 256 ग्राम बूढानोनेरा निर्णय दिनांक 31.12.2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट क्रम 1 अर्जनियां (मृतक) के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज कराकर निर्णित करें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:21 IST
Reason: SelfAttested